राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

समसहाय बनाम कैलाश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	842/2025	
06/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 07/01/2026 को पेश हो।	
07/01/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02/06/2025 पारित करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर रास्ता व क्षतिपूर्ति भूमि दर्ज होने के उपरान्त रास्ता तहसीलदार तहसील कोटखावदा द्वारा मौके पर चालू करवाये जाने के आदेश प्रदान किये गये तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02/06/2025 में संशोधन करते हुए संशोधित आदेश दिनांक 06/06/2025 पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 30/2 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 46/3 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 48/1 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.0600 हैक्टेयर में से आवागमन हेतु अप्रार्थी/अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 15 रकबा 0.30 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 16 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.31 हैक्टेयर में से रास्ता चाहा गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क़ानूनी प्रावधानों के विपरित जाकर एवं समस्त तथ्यों का संज्ञान लिये बगैर ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 02/06/2025 एवं संशोधित आदेश दिनांक 06/06/2025 पारित किये जाने में तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है अथवा नही के सन्दर्भ में कोई भी तथ्य अंकित नही है, जिससे रिपोर्ट अपूर्ण होना जाहिर था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधूरी रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया, जो गलत है। अत: अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया गया कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 30/2, 46/3, 48/1 रेस्पो. की खातेदारी भूमि है, एवं	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामसहाय बनाम कैलाश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रेस्पो. द्वारा आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया है | विवादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में ILR द्वारा रिपोर्ट तैयार की गयी है | अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आपत्ति में वैकल्पिक रास्ते को नही बताने का तथ्य अंकित ही नही किया गया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमीन के बदले जमीन का आदेश पारित किया गया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लेकर सही रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसमे तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी नही होने से अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमायी जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय मौका रिपोर्ट एवं अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि प्रकरण में प्राप्त मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते का कोई उल्लेख किये बगैर ही सन्दर्भित रिपोर्ट प्रेषित की गयी है, जबकि धारा 251-ए के प्रकरण में रिपोर्ट प्रेषित करते हुये वैकल्पिक एवं कदीमी रास्तो का स्पष्ट अंकन किया जाना आवश्यक होता है ताकि निकटतम एवं सुलभ रास्ता प्रदान किया जाना तय हो सके किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर किये बगैर ही ऐसी त्रुटीपूर्ण रिपोर्ट के परिदृष्य में ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटी किया जाना स्पष्ट होता है अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02/06/2025 एवं संशोधित आदेश दिनांक 06/06/2025 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में तहसीलदार से विस्तृत मौका रिपोर्ट तलब कर पक्षकारान को आपत्ति का अवसर प्रदान करते हुये प्राप्त आपत्ति का विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये विधिसम्मत निर्णय पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 07/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर